न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री भवानी सिंह पंवार

अपील संख्या 13/2020 तारीख रजू 07.01.2020

रामप्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील खण्डार। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,खण्डार –––––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 2.12.20

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,खण्डार द्वारा मिसल संख्या 144/19 मे पारित आदेश दिनांक 07.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम नरवला के आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 0.08 किस्म गैरमुमकिन तलाई भूमि पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया है तथा गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है इसलिये माननीय अदालत मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को कोई सम्मन/नोटिस नहीं मिला है नहीं अपीलान्ट को कोई तामील हुयी है अगर तामील प्राप्त होती तो अपीलान्ट अपनी साक्ष्य सफाई पेश करता। यह भी तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 0.08 ग्राम नरवला पर वर्तमान में अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं अपीलान्ट किसी प्रकार का पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है,मात्र पटवारी हल्का ने कार्यालय में बैठकर ही सारी कार्यवाही की है। यह भी तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा उक्त विवादित आराजीयात के आस–पास के खेत वालों के एवं गवाहान के बयान नहीं लिये है तथा पटवारी हल्का द्वारा गतल रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलान्ट को 3 माह के सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जो निरस्तनीय है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट की पुत्री को तामील हुई है। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। यहां में उल्लेख करना चांहुगा कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि अतिचारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया हो और पूर्व में किये गये अतिक्रमण से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है तो अतिक्रमी सिविल कारावास के दण्ड का भागीदार होगा। पत्रावली में कही भी ऐसा दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब तहसीलदार,खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करदे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि वर्तमान में अतिक्रमण पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को बहाल रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.12.20 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर